पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 मई, 2018 ई0 (बैशाख 22, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	231–246	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	393–406	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदिं के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों, अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	117–121	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 531/XXIV-4/2017–01(01)2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) **इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2017 है।**

(2) **यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।**

अध्याय दो के विनियम 2 का संशोधन 2 **उत्तंराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 के अध्याय–दो के वर्तमान नियम 2 के उपविनियम (1) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

स्तम्भ–1 **विद्यमान विनियम**	**स्तम्भ–2** **संशोधित विनियम**
2(1) संस्था के प्रधान का पद, यथा स्थिति धारा–37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा–38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा। परन्तु यह कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा–38 में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति, जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में जेष्ठतम् अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा: परन्तु यह और कि हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम एंव ऐसे सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें, तो उसे प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक का वेतनमान अनुमन्य होगा,	2(1) संस्था के प्रधान का पद, यथा स्थिति धारा–37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा–38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा। **–विलोपित–** ***परन्तु* यह कि कोई ऐसी संस्था की दशा में जो धारा–38 में निर्दिष्ट संस्था न हो में (हाईस्कूल स्तर की संस्था हेतु)** प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अर्हता रखते हो और जब वह सहायक अध्यापक के रूप में साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें, तथा उनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक का वेतनमान अनुमन्य होगा,

तथा इण्टरमीडिएट प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें तो उसे प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा ।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित पदों पर कार्यरत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त पद पर पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में, इन पदों को अधिनियम एंव तदधीन बनाए गए विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।

इसी प्रकार इण्टर स्तर के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम् एंव ऐसे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय–दो परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुऐ 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करे तथा यदि उनका कार्य एंव व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा।

परन्तु यह कि स0अ0(एल0टी0) वेतनक्रम में न्यूनतम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने के उपरान्त स0अ0 से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति होने की दशा में ऐसे प्रवक्ता को संस्था में वरिष्ठतम् प्रवक्ता होने की दशा में तथा यदि उनका कार्य एंव व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उन्हें प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगा।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में, संस्था प्रधान के पद को अधिनियम एंव तद्धीन बनाए गए विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

विनियम 5 का संशोधन

3. मूल विनियमावली के विनियम 5 में–

(एक) विद्यमान विनियम 5 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये विनियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–

<u>स्तम्भ–1</u> **वर्तमान विनियम**	<u>स्तम्भ–2</u> **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
5(2)(ख)– यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।	**5(2)(ख)– यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।**

(दो) उप विनियम (2) के पश्चात् एक नया उप विनियम (3) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात

"5(3)– संस्था में कार्मिकों के पदों को भरे जाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार ही पदों को आरक्षित किया जायेगा।

विनियम 10 का संशोधन

4 मूल विनियमावली के विनियम 10 में–

(एक) विद्यमान विनियम 10 के खण्ड (क), (घ), (घ घ) तथा (छ) को नीचे स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये विनियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो पद विज्ञापित किए जायेंगे, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी अपने सम्भाग के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेंगे और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एल0टी0,या बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विशय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे—	10(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचलन हो पद विज्ञापित किए जायेंगे: प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी अपने सम्भाग के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेंगे और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (स्थायी या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एल0टी0,या बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वेतन और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से तीन सप्ताह से कम न हो) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे—
विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने	विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते है। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर

की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर निदेशक को भी भेजी जायेगी।

टिप्पणी–(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

10(घ) प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण–विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अभिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेंगे और इसकी जाँच जिला शिक्षा अधिकारी या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों को विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। जिला शिक्षा अधिकारी

निदेशक को भी भेजी जायेगी।

टिप्पणी–(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी,

परन्तु अनुमति देने से पूर्व छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सृजित पदों का पुनर्निधारण कर लिया जायेगा, तद्नुसार यदि पद सृजन की आवश्यकता हो, तो प्रथमतः पद सृजन का आदेश प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

10(घ) प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण–विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अभिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों या प्रधानाचार्यों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेंगे और इसकी जाँच **मुख्य शिक्षा अधिकारी** या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों को विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी

चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, की सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार-पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी यथास्थिति धारा-37 की उपधारा-(1) या (2) के खण्ड तीन के अधीन नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ-साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो जिला शिक्षा अधिकारी तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

10(घघ)—जहाँ खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधानाचार्य के पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम् अध्यापक और जहाँ विज्ञापित पद किसी हाईस्कूल संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हों

हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो **सूची में अन्तिम सातवें अभ्यर्थी** के समान गुण-विषयक अंक प्राप्त करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी **(प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारम्भिक शिक्षा)** चयन करने के लिए **प्रथम सात स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम की सूची** सहित ऐसे दिनांक, समय और स्थान, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, की सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व **अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई-मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट** द्वारा साक्षात्कार पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। चयन की सूचना इसी प्रकार निदेशक, मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी को **अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई-मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट** द्वारा देगा। **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारम्भिक शिक्षा)** यथास्थिति धारा-37 की उपधारा-(1) या (2) के खण्ड तीन के अधीन नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ-साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारम्भिक शिक्षा)** तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

10(घघ)—जहाँ खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधानाचार्य के पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम् अध्यापक और जहाँ विज्ञापित पद किसी हाईस्कूल संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो वहाँ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम

वहाँ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, और जहाँ विज्ञापित पद किसी जूनियर हाईस्कूल/ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के ज्येष्ठतम सहायक अध्यापक जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

10(छ)– चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 25 में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा।

उदाहरणार्थ–ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 110 गुण– विषयक अंक प्राप्त करें, यदि साक्षात्कार में पाँच सदस्य हों और उन सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

सदस्य संख्या 1	18
सदस्य संख्या 2	15
सदस्य संख्या 3	17
सदस्य संख्या 4	11
सदस्य संख्या 5	14
	योग– 75

तो अंकों का योग 110+75/5=125 होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक 25 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 18 अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा 10 अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन

अध्यापक, और जहाँ विज्ञापित पद किसी जूनियर हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के ज्येष्ठतम सहायक अध्यापक जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

परन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के चयन के लिये पदों का विज्ञापन प्रकाशित करने के तीन माह के भीतर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। यदि चयन की कार्यवाही उक्तावधि में पूर्ण न की जा सके तो पदों का पुनः विज्ञापन किया जायेगा।

10(छ)– चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 05 में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा।

उदाहरणार्थ–ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 100 गुण–विषयक अंक प्राप्त करें, यदि साक्षात्कार में पाँच सदस्य हों और उन सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

सदस्य संख्या 1	04
सदस्य संख्या 2	03
सदस्य संख्या 3	02
सदस्य संख्या 4	03
सदस्य संख्या 5	03
योग–	15

तो अंकों का योग **100+15/5=103** होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक 05 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 04 अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा 02 अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या

समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता कम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विषेशज्ञों के नाम भी दिए जायेंगे जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।	उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता कम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विषेशज्ञों के नाम भी दिए जायेंगे जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित **मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक शिक्षा)** को भेजी जायेगी।
स्पष्टीकरण–धारा–37(5) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।	**स्पष्टीकरण**–धारा–37(5) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

विनियम 17 का संशोधन

5. मूल विनियमावली के वर्तमान विनियम 17 के खण्ड (घ) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
वर्तमान विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**
17(घ)–अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र कमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेंगे। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–38 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।	**17(घ)**–अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र कमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेंगे। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की **सूचना रजिस्टर्ड डाक/ई0मेल/एस0एम0एस0/बेबसाइट द्वारा देगा।** चयन समिति तद्नुसार चयन करेगी। **चयन की सूचना इसी प्रकार निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक को रजिस्टर्ड डाक/ई0मेल/एस0 एम0एस0/बेबसाइट द्वारा देगा** यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–38 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।	यदि साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 03 से कम रहती है तो साक्षात्कार स्थगित कर दिया जायेगा और उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

विनियम 18 का संशोधन

6. मूल विनियमावली के वर्तमान विनियम 18 के खण्ड (क) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
18(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्ति को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–	18(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्ति को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–
प्रबन्ध समिति द्वारा रिक्तियों की अवधारणा करने के पश्चात् पदों को पर्याप्त परिचालन वाले स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जिसमें पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं आयु, वेतनमान आदि का विवरण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन धारा–37(3) तथा 37(4) में निर्मित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार में चयन समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम 25 पूर्णांक में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक 25 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 18 अंकों से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा 10 अंक से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा।	प्रबन्ध समिति द्वारा रिक्तियों की अवधारणा करने के पश्चात पदों को पर्याप्त परिचालन वाले स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा जिसमें पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं आयु, वेतनमान आदि का विवरण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन धारा–37(3) तथा 37(4) में निर्मित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार में चयन समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम **05 पूर्णांक** में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक **05** में से यदि किसी अभ्यर्थी को **04 अंकों** से अधिक अंक प्रदान किए जाएं अथवा **02 अंक** से कम अंक प्रदान किए जाएं तो ऐसे अंक प्रदान करने वाले सदस्य द्वारा उसका विशिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना अनिवार्य होगा। **परन्तु शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन के लिए साक्षात्कार की सूचना अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई–मेल तथा एस0एम0एस0 तथा बेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा।**

परिशिष्ट "घ" का संशोधन

7. मूल विनियमावली के अध्याय–दो में वर्तमान परिशिष्ट "घ" में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान विनियम	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
परिशिष्ट–घ	*परिशिष्ट–घ*
(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में	*(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में*
(अध्याय दो के गुण विषयक अंकों का आंगणन निम्नवत् किया जाएगा	*किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक अंक*
(A) हाईस्कूल/इण्टर संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक	***(A)*** *हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक*
शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80	*शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100*
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10	*चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05*
कुल अंक 90	***कुल अंक–105***
शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–	***शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु***
	सूत्र –
स्नातक– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2 / 10	*हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1 / 10*
स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2 / 10	*इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1 / 10*
	स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2 / 10
बी0एड0 – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3 / 10	*स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4 / 10*
	बी0एड0–(लिखित +क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2 / 10
पी0एच0डी0/डी0लिट0 उपाधि हेतु गुण विषयक अंक–05	***विलोपित***
एम0एड0 उपाधि हेतु गुण विषयक अंक–05	***विलोपित***
(B) इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिये गुण विषयक अंक	***(B)*** *इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिये गुण विषयक अंक*
शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80	*शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक– 100*
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10	*चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 05*
कुल अंक 90	***कुल अंक–105***

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–

स्नातक– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

बी0एड0 – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3
10

(C) हाईस्कूल के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक–90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो–

प्राप्तांकों का प्रतिशत X 6
10

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र –

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

स्नातकोत्तर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

बी0एड0–(लिखित +क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

(C) हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1
10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

बी0एड0–(लिखित +क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2
10

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0– II जो लागू हो –
प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4
10

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–10

कुल अंक–**90**

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो–

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 6}}{10}$

(E) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के सहायक अध्यापक व प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राईमरी के सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 10

कुल अंक–90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी0एड0 – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II जो लागू हो –

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 6}}{10}$

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक–100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

इण्टर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

स्नातक – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

बी0एड0–$\frac{\text{(लिखित + कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0– II जो लागू हो –

$\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4}}{10}$

(E) *मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राईमरी के प्रधानाध्यापक एंव सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–*

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक– 100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक–05

कुल अंक–105

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

हाईस्कूल– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

इण्टर – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1}}{10}$

स्नातक – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

बी0एड0–$\frac{\text{(लिखित + कियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी०टी०ई०टी०/यू०टी०ई०टी०-I जो लागू हो -

प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4 / 10

(F) टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० से छूट प्राप्त विषयों मे सहायक अध्यापकों (माध्यमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों के लिए गुणविषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक– 100

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक– 05

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र –

हाईस्कूल– प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1 / 10

इण्टर – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2 / 10

स्नातक – प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3 / 10

बी०एड०/अन्य प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री (जो लागू है) –(लिखित +क्रियात्मक का योग) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4 / 10

अथवा

स्नातकोत्तर – (यदि लागू हो) प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4 / 10

III सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप विवरण गुण विषयक:

(क) खेल/खेलकूद –विलुप्त।

1. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि –5

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग/राज्य स्तर पर उपलब्धि

3. राज्य स्तर पर प्रतिभाग/जनपद स्तर पर उपलब्धि

(ख) 1–स्काउट/गाइड –विलुप्त।

1. राष्ट्रपति पुरस्कार–5
2. राज्य पुरस्कार–3
3. तृतीय सोपान उत्तीर्ण–2

अथवा

(ख) 2–राष्ट्रीय कैडेट कोर/एन0एस0एस0–

एन0सी0सी0सीनियर डिविजन सी0–प्रमाण–पत्र/
जी0–2
प्रमाण पत्र एन0एस0एस0–सी प्रमाण पत्र – 5

एन0 सी0 सी0 सीनियर डिविजन–बी/
जी0–1 प्रमाण पत्र एन0 एस0 एस0–बी प्रमाण पत्र– 3

एन0सी0सी0जूनियर
डिविजन–ए/ए–1/ए–2/जे/जे–1/जे–2 प्रमाण
पत्र
एन0एस0एस0–ए प्रमाण पत्र–2

–विलुप्त।

(ग) अन्य दक्षता अर्थात वाद–विवाद विद्यालय स्तर पर
उपलब्धि – 1
नाट्यकला, यूनियन पार्लियामेन्ट कालेज स्तर पर
उपलब्धि – 2
विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्धि – 3
राज्य स्तर पर उपलब्धि – 5

–विलुप्त।

परिशिष्ट 'घ' गुण विषयक अंकों का आगणन करते समय निम्न को ध्यान में रखा जाय –

(1) यदि अभ्यर्थी ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेंगे।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक अंक प्रदान किये जायेंगे।

(3) संस्था के प्रधान–पद के लिये प्रशासनिक अनुभव के प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा––

परिशिष्ट 'घ' गुण विषयक अंकों का आगणन करते समय निम्न को ध्यान में रखा जाय –

(1) यदि अभ्यर्थी ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेंगे।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

–विलुप्त।

–विलुप्त।

(क) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) या हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य की हैसियत से कार्य किया हो।

(ख) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

(4) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। यदि आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदन किया हो तो प्रशिक्षण अनुभव के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

(5) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

(6) किसी संस्था के निर्देश में पद मान्यता प्राप्त का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

शिक्षण अनुभव के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा :

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री श्री .....ने संस्था .....में .....पद पर

–विलुप्त।

–विलुप्त।

–विलुप्त।

–विलुप्त।

(6) किसी संस्था के निर्देश में पद मान्यता प्राप्त का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

शिक्षण अनुभव के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा :

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(मात्र संस्था प्रधान के लिए शैक्षिक अर्हता की गणना के लिये मान्य होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....पुत्र/पुत्री श्री.....ने संस्था .....में ....पद पर दिनांक .....से ..... तक ..... कार्य किया है/कर रहे हैं।

दिनांक .....से ..... तक ..... कार्य किया है/कर रहे हैं। इस अवधि में इनको वेतन का भुगतान विद्यालय की रोकड़ पंजिका संख्या/..... बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता संख्या ..... है/था।

हस्ताक्षर संस्था प्रबन्धक.....
हस्ताक्षर संस्था प्रधान.....

नाम/पदनाम/मुहर .....
नाम/पदनाम/मुहर रोकड पंजिका/बैक पासबुक/उपस्थिति पंजिका के आधार पर ।

इस अवधि में इनको वेतन का भुगतान विद्यालय की रोकड़ पंजिका संख्या..... , बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता संख्या ..... है/था।

अध्यापक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष/प्रबन्धक.....
नाम/पदनाम/मुहर रोकड पंजिका/बैक पासबुक/उपस्थिति पंजिका के आधार पर

हस्ताक्षर
खण्ड शिक्षा अधिकारी
/नियन्त्रक अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य शिक्षा अधिकारी

आज्ञा से,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/250—भाग 1—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 मई, 2018 ई0 (बैशाख 22, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 101/UHC/Admin.A/2018--Ms. Arti Saroha, Judicial Magistrate, Rudraprayag is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, *vice* Sri Sanjay Singh.

She is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath, District Rudraprayag, with the directions to hold Camp Court at Ukhimath for one week in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 102/UHC/Admin.A/2018--Sri Sanjeev Kumar, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Almora, *vice* Ms. Anita Kumari.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 103/UHC/Admin.A/2018--Ms. Shama Nargis 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Niharika Mittal Gupta.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 104/UHC/Admin.A/2018--Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, *vice* Sri Sandip Kumar Tiwari.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 105/UHC/Admin.A/2018--Sri Akram Ali, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is also given Additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh, with the directiones to hold Camp Court at Dharchula of one week in a month, in addition to his present duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 106/UHC/Admin.A/2018--Sri Neeraj Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Smt. Seema Dungarakoti.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 107/UHC/Admin.A/2018--Sri Akhilesh Kumar Pandey, Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, District Champawat is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Shama Nargis.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 108/UHC/Admin.A/2018--Sri, Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sanjeev Kumar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 109/UHC/Admin.A/2018--Sri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is transferred and posted as Judicial Magistrate, Laksar, District Hardwar, *vice* Sri Dharmendra Shah.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 110/UHC/Admin.A/2018--Sri Rajesh Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is transferred and posted as Principal Magistrate /Judicial Magistrate (1st Class) Juvenile Justice Board, Hardwar, *vice* Ms. Ritika Semwal.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 111/UHC/Admin.A/2018--Sri Dayaram, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital, *vice* Ms. Beenu Gulyani.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 112/UHC/Admin.A/2018--Ms. Meenal Chawla, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital, *vice* Ms. Manju Devi.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 113/UHC/Admin.A/2018--Ms. Tista Shah, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Sri Neeraj Kumar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 114/UHC/Admin.A/2018--Ms. Afiya Mateen Judicial Magistrate-II, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Champawat, *vice* Sri Alok Ram Tripathi.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 115/UHC/Admin.A/2018--Sri Amit Kumar, Judicial Magistrate, Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal, *vice* Sri Sayed Gufran.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 116/UHC/Admin.A/2018--Sri Alok Ram Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is transferred and posted as Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun, *vice* Ms. Indu Sharma.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 117/UHC/Admin.A/2018--Sri Mithilesh Pandey, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is transferred and posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Ms. Tista Shah.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 118/UHC/Admin.A/2018--Sri Kapil Kumar Tyagi, Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, *vice* Ms. Soniya.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 119/UHC/Admin.A/2018--Sri Abhay Singh, Judicial Magistrate,Vikas Nagar, District Dehradun is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, *vice* Ms. Anamika.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Dhari District Nainital, with the directions to hold Camp Court at Dhari for one week in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 120/UHC/Admin.A/2018--Ms. Mamta Pant, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, District Champawat, *vice* Sri Akhilesh Kumar Pandey.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 121/UHC/Admin.A/2018--Ms. Anamika,1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, *vice* Ms. Mamta Pant.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 122/UHC/Admin.A/2018--Ms. Beenu Gulyani , Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, *vice* Sri Dayaram.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 123/UHC/Admin.A/2018--Sri Nadeem Ahmad, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital, *vice* Ms. Chhavi Bansal.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 124/UHC/Admin.A/2018--Sri Dharmendra Shah, Judicial Magistrate, Laksar, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora,*vice* Ms. Meenal Chawla.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Bhikyasen and Civil Judge (Jr. Div.) Dwarahat, District Almora, with the directions to hold Camp Court at both these places for 03 days each in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 125/UHC/Admin.A/2018--Ms. Sahista Bano, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is transferred and posted as Judicial Magistrate, Chamoli, *vice* Sri Amit Kumar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 126/UHC/Admin.A/2018--Sri Anoop Singh, Judicial Magistrate-II, Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi, *vice* Sri Rajesh Kumar.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Barkot, District Uttarkashi, with the directions to hold Camp Court at Barkot for 03 days in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 127/UHC/Admin.A/2018--Ms. Shama Parveen, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, *vice* Sri Mithilesh Pandey.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 128/UHC/Admin.A/2018--Ms. Manju Devi, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli, *vice* Sri Harsh Yadav.

She is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Joshimath and Pokhri, District Chamoli, with the directions to hold Camp Court at both these places for 03 days each in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 129/UHC/Admin.A/2018--Ms. Jayshree Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, *vice* Ms. Sahista Bano.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 130/UHC/Admin.A/2018--Ms. Suman, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, *vice* Sri Ravi Shanker Mishra.

She is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District Bageshwar, with the directions to hold Camp Court at Garur for one week in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 131/UHC/Admin.A/2018--Ms. Bushra Kamal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Sri Imran Mohd. Khan.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 132/UHC/Admin.A/2018--Sri Sachin Kumar, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, *vice* Ms. Meenakshi Sharma.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 133/UHC/Admin.A/2018--Sri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun, *vice* Ms. Jayshree Rana.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Chakarata, District Dehradun, with the directions to hold Camp Court at Chakarata for 02 days in every fortnight.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 134/UHC/Admin.A/2018--Ms. Meenakshi Sharma, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, *vice* Ms. Aishwarya Bora.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 135/UHC/Admin.A/2018--Sri Vishal Vashisht, Civil Judge (Jr. Div.), Barkot, District Uttarkashi is transferred and posted as Judicial Magistrate-I, Roorkee, District, Hardwar, *vice* Sri Manoj Kumar Dwivedi.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 136/UHC/Admin.A/2018--Ms. Aishwarya Bora, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sachin Kumar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 137/UHC/Admin.A/2018--Ms. Soniya, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal, *vice* Sri Sachin Kumar Pathak.

She is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar and Pratap Nagar, District Tehri Garhwal, with the directions to hold Camp Court at both these places for 03 days each in a month.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 138/UHC/Admin.A/2018--Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Pratap Nagar, District Tehri Garhwal is transferred and posted as Judicial Magistrate, Vikas Nagar, District Dehradun, *vice* Sri Abhay Singh.

This order will come into force *w.e.f.* 16.04.2018.

Note :- The officers transferred prematurely on their request will not be allowed the transfer travelling allowance.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

April 16, 2018

(Handing over on transfer)

No. 1591/UHC/Admin.A/2018--CERTIFIED that the office of the Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over in the forenoon of April 16, 2018 in compliance of Notification No. 77/UHC/Admin.A/2018, dated April 11, 2018 of High Court of Uttarakhand Nainital.

Relieving Officer

RAJEEV KUMAR KHULBEY,
Relieved Officer

Countersigned

NARENDRA DUTT,
Registrar General
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

April 16, 2018

(Handing over on transfer)

No. 1599/UHC/Admin.A/2018--CERTIFIED that the office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over in the afternoon of April 16, 2018 in compliance of Notification No. 78/UHC/Admin.A/2018, dated April 11, 2018 of High Court of Uttarakhand Nainital.

Smt. SUJATA SINGH,
Relieved Officer.

Countersigned

NARENDRA DUTT,
Registrar General
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

19 अप्रैल, 2018

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 281/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 334/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20 एवं 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17 समदिनांकित 16 अप्रैल, 2018 तथा आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 239/रा0क0आ0उ0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के किसी संगठन के सदस्यों को प्रतिदाय की समय सीमा अठारह मास किये जाने; माह अप्रैल से माह जून, 2018 के दौरान की गई मालों और सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर–1 में दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करने तथा आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6376 दिनांक 28 मार्च, 2018 को विखण्डित करना अधिसूचित किया जाना है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 334/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20–चूँकि, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट किये जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे :

चूँकि, राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, अधिसूचना संख्या 508/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, तारीख 28 जून, 2017 और अधिसूचना संख्या 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–14, तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा अन्तिम बार यथासंशोधित के माध्यम से शर्तें और निबंधन अधिकथित किये है ;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अन्तिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइनल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अन्तिम दिन के अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 334/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20,** Dehradun, dated April 16, 2018 for general information:

NOTIFICATION

April 16, 2018

No. 334/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20--WHEREAS, as per section 55 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government May, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf (hereafter in this notification referred to as the specified persons), who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them;

WHEREAS, the State Government has laid down the conditions and restrictions for claiming of refund of taxes under section 55 of the said Act vide the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, vide notification No. 508/2017/9/(120)/XXVII(8)/2017, dated 28 June, 2017 and last amended vide notification No. 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14 dated 28th March, 2018;

WHEREAS, as per sub-section (2) of section 54 of the said Act, the specified persons, as notified under section 55 of the said Act, are entitled to a refund of tax paid by them on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six month from the last day of the quarter in which shuch supply was received;

WHEREAS, the facility for filing the claim of refunds under section 55 of the said Act has been made available on the common portal recently;

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the specified persons as the class of persons who shall make an application for refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, to the jurisdictional tax authority, in such form and manner as specified, before the expiry of eighteen months from the last date of the quarter in which such supply was received.

2. This notification shall come into force from 28th day of march, 2018.

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये तक का है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर–1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय–सीमा में विस्तार को पश्चातवर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17,** Dehradun, dated April 16, 2018 for general information:

NOTIFICATION

April 16, 2018

No. 335/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-17--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act,) the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter of April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड

अधिसूचना

17 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 239/रा0क0आ0उ0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19–उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के नियम 138 के उपनियम (14) के खण्ड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 6376/रा0क0आ0उ0/जी0एस0टी–विधि/2017–18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक राज्य में माल के अन्तःराज्यीय परिवहन के लिये ई–वे बिल अपेक्षित नहीं होना अधिसूचित किया गया था।

अब, मैं, आयुक्त एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 6376/रा0क0आ0उ0/जी0एस0टी–विधि/2017–18, दिनांक 28 मार्च, 2018 को विखण्डित करना अधिसूचित करती हूँ।

यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी।

सौजन्या,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

April 17, 2018

No. 239/CSTUK/GST-Vidhi/2018-19--In exercise of the power conferred by clause (d) of sub-rule (14) of rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018 no-requirement of e-way bill for the intra-state movement of Goods in the State till further orders was notified vide Notification No. 6376/CSTUK/GST-Vidhi/2017-18, dated 28th March, 2018;

Now, I, the Commissioner, hereby, notify to rescind Notification No. 6376/CSTUK/GST-Vidhi/2017-18 dated 28th March, 2018.

This notification shall come into force with effect from 20.04.2018.

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय आदेश

06 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक 295/सू0 एवं लो0स0वि0(प्रशा0)–31/2011–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक अधिकारी, श्री पान सिंह बिष्ट को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेवल–8, वेतनमान ₹ 47600–151100 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक/कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री पान सिंह बिष्ट को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. प्रश्नगत पदोन्नति श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 37(एस0एस0)/2010 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4. श्री पान सिंह बिष्ट अगेत्तर आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य यथावत सम्पादित करते रहेंगे।

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
महानिदेशक।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

22 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 144/एक–03–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 22–03–2018 से 05–04–2018 तक 15 दिन (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पितृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र के स्वीकृत होने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा आज दिनांक 21–03–2018 के अपरान्ह में सिविल जज (जू0डि0), पिथौरागढ़ का पदभार छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0/– (अस्पष्ट)
प्र0 जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़

अकरम अली,
सिविल जज (जू0डि0),
पिथौरागढ़।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण पत्र

02 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक वाकअधि0/कार्यभार/व्य0प0/73(10)/101/2018–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना सं0 62/UHC/Admin.A/2018; दिनांक 22–03–2018 के अनुपालन में श्री सी0पी0 बिजलवान, एच0जे0एस0, का स्थानान्तरण 'जिला जज, नैनीताल' के पद पर होने के फलस्वरूप 'अध्यक्ष' वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार का आज दिनांक 02–04–2018 की अपरान्ह में निम्नवत् हस्तान्तरित किया गया।

अवमुक्त अधिकारी
(सी0पी0 बिजलवान)

अवमोचक अधिकारी
(आई0एस0 बृजवाल)

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

(प्रशासन) ऋषिकेश

आदेश

09 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 202/ला0/निलम्ब0/2018–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ :–

क्र0 सं0	लाइसेंस धारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही निलम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अभिषेक गोयल पुत्र श्री प्रवीन गोयल, निवासी–39 आवास विकास कालोनी, ऋषिकेश	यू0के–1420100018106 मोटर साइकिल व कार	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	12–02–2018 से 11–06–2018 तक निलम्बित
2.	श्री बेताल सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी–ग्राम श्यासू, टिहरी गढ़वाल	यू0के–1420000046370 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक) परिवहनयान	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात टिहरी गढ़वाल	ओवर लोड	08–02–2018 से 07–05–2018 तक निलम्बित
3.	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह निवासी–ग्रा0 व पो0 कौशल, टिहरी गढ़वाल	यू0के–1420030001568 हल्का मोटर वाहन	डिप्टी पुलिस अधीक्षक यातायात साउथ जोन, चण्डीगढ़	शराब का सेवन कर वाहन चलाना	08–02–2018 से 07–05–2018 तक निलम्बित
4.	श्री नन्द लाल पुत्र श्री मेहरानू लाल, निवासी–68 देहरादून रोड, ऋषिकेश	यू0के–1420000025277 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	08–02–2018 से 07–05–2018 तक निलम्बित
5.	श्री सौरभ असवाल पुत्र श्री सत्यपाल सिंह असवाल, निवासी–356 गुमानीवाला–2, ऋषिकेश	यू0के–1420130064491 मोटर साइकिल बिना गियर	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	08–02–2018 से 07–05–2018 तक निलम्बित
6.	श्री सोहन सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम–मयाली नैल छाम, टिहरी गढ़वाल	यू0के–1419980043220 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	08–02–2018 से 07–05–2018 तक निलम्बित
7.	श्री कुंवर चन्द रमोला पुत्र श्री माणिकचन्द रमोला, निवासी–ग्राम बरगनी पो0 पल्ली, टिहरी गढ़वाल	यू0के–1420020047405 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	16–02–2018 से 15–05–2018 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
8.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी–सुनार गाँव चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	यू0के–1420010060466 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	16–02–2018 से 15–05–2018 तक निलम्बित
9.	श्री राम कुमार पुत्र श्री राम पदारथ, निवासी–मोतीचूर हरिपुर कलां, ऋषिकेश	यू0के–1420150084907 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ढोना	20–02–2018 से 19–05–2018 तक निलम्बित
10.	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी–ग्राम फेडीकल्यारी डुण्डा, उत्तरकाशी	यू0के–1420050046686 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	19–02–2018 से 18–05–2018 तक निलम्बित
11.	श्री शिशपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह निवासी–ग्राम व पो0 छाम, टिहरी गढ़वाल	यू0के–1420060009670 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी	खतरनाक संचालन	19–02–2018 से 18–05–2018 तक निलम्बित
12.	श्री विजय सिंह पुत्र श्री इन्द्रा सिंह, निवासी–खैरी खुर्द श्यामपुर, ऋषिकेश	यू0के–1420120036879 कार	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	19–02–2018 से 18–05–2018 तक निलम्बित
13.	श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी–प्रेमलाल श्यामपुर, ऋषिकेश	यू0के–142005002486 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	चालान दिनांक 22–11–2017 से 21–02–2018 तक निलम्बित

डा0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/250–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 मई, 2018 ई0 (बैशाख 22, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, महुआडाबरा (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

11 सितम्बर, 2017

पंत्राक 459/न0पं0/यूजर चार्ज उपविधि/2017–18–नगर पंचायत महुआडाबरा, जिला ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011** के क्रियान्वयन हेतु **"नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017"** बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महुआडाबरा, जिला ऊधमसिंह नगर को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पंचायत महुआडाबरा जिला–ऊधमसिंह नगर की **"नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017"** कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत महुआडाबरा जिला–ऊधमसिंह नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें:–

(i) **"नगरीय ठोस अपशिष्ट"** के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) **"उपविधि"** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।

(iii) **"नगर पालिका"** से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत महुआडाबरा जिला–ऊधमसिंहनगर से है।

(iv) **"अधिशासी अधिकारी"** से अभिप्रेत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) **"सफाई निरीक्षक"** से अभिप्रेत नगर पंचायत महुआडाबरा जिला–ऊधमसिंह नगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) **"निरीक्षण अधिकारी"** का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) **"नियम"** से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं०, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) **"जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट"** (biodegradable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ ,खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) **"जीव अनाशित अपशिष्ट"** (Non-biodegradable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(xi) **"पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट"** (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) **"जैव चिकित्सीय अपशिष्ट"** (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) **"संग्रहण"** (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) **"कचरा खाद बनाने"** (composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया स अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) **"ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट"** (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) **"व्ययन"** (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) **"भूमिकरण"** (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/ कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) **"निक्षालितक"** (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) **"नगर पालिका प्राधिकारी"** (municipal authority) में म्युनिसपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) **"स्थानीय प्राधिकारी"** (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxi) **'नगरीय ठोस अपशिष्ट"** (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) **"सुविधा के परिचालक"** (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) **"पुनर्चक्रण"** (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं।

(xxiv) **"पृथक्करण"** (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) **"भण्डारण"** (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) **"परिवहन"** (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 5 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वार निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू0 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार रू0 200.00 दूसरी बार पर रू0 500.00 एवं तीसरी बार में रू0 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार रू0 500.00 द्वितीय बार रू0 1,000.00 एवं तीसरी बार में रू0 1,500.00 की अर्थदण्ड (penalty) देनी होगी।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (**User charges**) की दरें निम्नवत है;–

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की राशि रूपये में			
		जैविक–अजैविक कूडा अलग–अलग सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूडा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूडा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूडा देनें पर
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10	15	20	25
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	50	100	75	125
5.	रेस्टोरेन्ट	150	200	175	250
6.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	300	500	350	550
9.	बैकरी	80	100	100	150
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	50	100	150	200
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	50	100	75	150
15.	दुकान	30	60	50	100
16.	फैक्ट्री (उद्योग)	200	400	300	450

1	2	3	4	5	6
17.	वर्कशाप/कबाडी	100	150	150	200
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300
21	बड़े आवासीय प्रतिष्ठान जो उक्त सूची मे नही है	100	200	200	250
22	ऐसे व्यवसायप्रतिष्ठान आवास जो उक्त सूची मे नही है	100	200	200	250

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा,जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होंगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू० 5000.00 (रू० पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू० 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महुआडाबरा जिला–ऊधमसिंहनगर में निहित होगा।

हरिचरण सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत महुआडाबरा।

बहादुर सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत महुआडाबरा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/250–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।